*खाता एग्रीगेटर संबंधी विनियामकीय संरचना**

एम राजेश्वर राव

मुझे आमंत्रित करने तथा यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूँ कि इस चुनौतीपूर्ण समय में आप सभी सुरक्षित हैं।

मोबाइल और हस्त-धारित उपकरणों के तेजी से विकास के साथ प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को बदल कर सर्वत्र अभिगम व व्यापक पहुँच में हमारी सहायता की है। साथ ही, इसने व्यवसायों को नए बाजारों और नए भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंचने में सक्षम बनाया है, जहाँ वे अब तक नहीं पहुंच पाए थे। प्रौद्योगिकी के इस विकास में वित्तीय मध्यस्थता को बदलने की क्षमता भी है क्योंकि परिष्कृत तकनीक के उपयोग से वित्तीय आंकड़ों तक अभिगम द्वारा वर्षों से अनुभूत व अभ्यस्त उत्पादों और सेवाओं, उपभोक्ता सेवा, वित्तीय उत्पादों के वितरण में परिवर्तन की संभावना बनती है। वित्तीय क्षेत्र में, पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर के विनियामकों ने यूरोप में पेमेंट सिस्टम डायरेक्टिव (पीएसडी2) और भारत में अकाउंट एग्रीगेटर जैसे प्रयासों से वित्तीय संस्थानों की बहियों में दबे वित्तीय आंकड़ों तक अभिगम के दरवाजे खोलने में अहम भूमिका निभाई है। इन पहलों का मुख्य प्रभाव डेटा के लोकतांत्रीकरण तथा और डेटा अभिगम व उपयोग के अधिकार को डेटा धारकों के बजाय डेटा के मालिकों को हस्तांतरित करने में रहा है।

वित्त पोषण, वित्तीय व्यापार मॉडल, विशेष वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के प्रौद्योगिकी संचालित नए तरीकों ने हाल के वर्षों में, पी2पी उधार, धन प्रबंधन, माइक्रोफाइनेंस, स्मार्ट-कॉन्ट्रैक्ट, एआई/एमएल आधारित निर्णय विश्लेषण प्रणाली और रोबो-परामर्श आदि क्षेत्रों में फिनटेक संचालित नवाचार को समर्थ बनाया है। हालांकि, विभिन्न वित्तीय सेवा प्रदाताओं में वित्तीय डेटा का वर्गीकरण व्यक्तियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने और उन्हें व्यापक वित्तीय समाधान हेतु इसके प्रभावी उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करता है।

सरकार की ओर से अनुकूल स्टार्ट-अप परितंत्र के कारण भारत को वित्तीय सेवा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त हुआ है। ई-कॉमर्स और स्मार्टफोन की पैठ में बढ़ोतरी के साथ इसमें और तेजी आई है। औपचारिक चैनलों के साथ उत्पादों और सेवाओं के फिनटेक आधारित वितरण के एकीकरण ने वित्तीय सेवाओं की अंतिम मील तक उपलब्धता को बढ़ावा दिया है। मेरा मानना है कि रिज़र्व बैंक वित्तीय प्रौद्योगिकियों को अपनाने में आगे रहा है और जब उद्योग स्वंय अपने शैशव में था, नए उत्पादों और सेवाओं के लिए, उपयुक्त सहायक नियम लेकर आया है। पीयर टू पीयर (पी2पी) लेंडिंग, अकाउंट एग्रीगेटर्स (एए) और क्रेडिट इंटरमीडिएशन "केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म" पर एनबीएफसी ऐसे मामले हैं जहां विनियमन ने उद्योग को व्यवस्थित और मजबूत तरीके से बढ़ने में मदद की है। यूपीआई, विनियामकीय परीक्षण स्थल(सैंडबॉक्स) और इनोवेशन हब संबंधी आरबीआई के प्रयास हमारी सक्रिय फिनटेक पहलों का प्रमाण हैं।

तथापि, इस कार्यक्रम के विषय को ध्यान में रखते हुए, आज मैं खाता एग्रीगेटर के संस्थापन और इसकी संरचना के इर्द-गिर्द केंद्रित रहना चाहूँगा।

खाता एकत्रक (अकाउंट एग्रीगेटर्स)- आरबीआई की पहल

किसी व्यक्ति की सभी वित्तीय आस्तियों के एकत्रीकरण की सुविधा के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा 02 सितंबर 2016 को एए संबंधी संरचना जारी की गई थी। दृष्टिकोण था कि एक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल तरीके से वित्तीय डेटा के साझाकरण और एकत्रीकरण को एक मध्यस्थ की स्थापना द्वारा संभव किया जाए जो ग्राहक सहमति प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार होगा। ये मध्यस्थ एए हैं, जो रिज़र्व बैंक के साथ गैर-बैंकिंग-वित्तीय-कंपनियों के रूप में भी पंजीकृत हैं।

खाता एग्रीगेटर ऐसी जानकारी के धारकों (जिनको वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) कहा जाता है) से किसी ग्राहक की वित्तीय संपत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करता है या एकत्र करता है और इसे ग्राहकों या निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं (वित्तीय

* 02 सितंबर, 2021 को आईस्पिरिट द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार

सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के नाम से परिचित) को संचित, समेकित और प्रस्तुत करता है। ऐसी जानकारियों का अंतरण ग्राहक की स्पष्ट सहमति पर आधारित होता है और प्रतिसाद तत्काल घटित हुआ समझा जाता है। आंकड़ों को एग्रीगेटर द्वारा संग्रहित या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसे केवल विनियमित वित्तीय संस्थाओं के साथ साझा किया जाएगा। दिशा-निर्देश मजबूत डेटा सुरक्षा और ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाने की अपेक्षा रखते हैं। एए के पास समुचित सहमति स्थापत्य हो तथा लेखा-परीक्षा चिह्न (ऑडिट ट्रेल्स) उपलब्ध होने चाहिए। दिशा-निर्देशों में अपेक्षित है कि वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) ऐसा इंटरफेस लागू करें जो खाता एग्रीगेटर को सहमति विरूपण साक्ष्य (कन्सेन्ट आर्टिफैक्ट्स) प्रस्तुत करने देगा और एक दूसरे को अधिप्रमाणित करेगा, ताकि खाता एग्रीगेटर को वित्तीय सूचना का प्रवाह सुरक्षित रूप से हो सके।

एए परितंत्र के लाभ

उधार (लेंडिंग), ऋण निगरानी, धन प्रबंधन, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन आदि जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था हेतु अपेक्षित निर्णय लेने में एए फ्रेमवर्क पेपर ट्रेल्स को हटाकर मदद करता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सूची परिपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, एए सूचना विषमता को कम करके जो क्षेत्र पहले अल्पसेवित और असेवित रहे हैं, वहाँ वित्तीय सेवाओं की पहुँच और क्रेडिट की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

आइए, एमएसएमई का उदाहरण लेते हैं। निस्संदेह, एमएसएमई आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, स्वीकार्य संपार्श्विक और अपने वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में और सत्यापन योग्य आंकड़ों की कमी के कारण औपचारिक चैनलों से ऋण प्राप्त करने में उन्हें कभी- कभी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 महामारी की स्थितियों के कारण कारोबार में आए व्यवधान ने इस क्रेडिट अंतर को और भी खराब कर दिया है। वर्तमान परिवेश में, उनका वित्तीय डेटा कई विनियमित संस्थाओं के पास रहता है और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए इस डेटा को समेकित करना और इसे उधार देने वाले संस्थानों के साथ साझा करना मुश्किल हो जाता है। बाधा न भी हो, तब भी यह क्रेडिट स्वीकृति प्रक्रिया में देरी का कारण बन सकता है और इसकी (यानी एमएसएमई की) समय पर क्रेडिट प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करता है। इस समस्या के हल के लिए एए ग्राहक से स्पष्ट सहमति के आधार पर वित्तीय डेटा को एकत्र करने और प्रस्तुत करने में मध्यवर्ती के रूप में कार्य कर सकता है। सभी उधारदाताओं के कैशफ़्लो स्टेटमेंट सहित सभी सहमति वाले लेन-देन संबंधी डेटा को एए समेकित कर सकते है। डेटा तत्काल सीधे स्रोत से, कम लागत पर और बिना गड़बड़ी के प्राप्त किया जाएगा। यह डेटा सत्यापन की लागत और बोझ को घटाएगा तथा उधारकर्ता के लिए अनुपालन लागत को कम करेगा।

भारत में एए ढांचे के तहत दूसरे चरण की पहल: "तकनीकी विनिर्देश"

एए के व्यवसाय के बढ़ने से विभिन्न वित्तीय विनियामकों के अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले वित्तीय संस्थानों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अपने संबंधित प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफार्मों पर एक दूसरे से संवाद संभव है। विभिन्न संस्थानों में डेटा की पूरी गोपनीयता के साथ निर्बाध आवाजाही एए ढांचे के व्यवस्थित विकास और सुचारू कामकाज के लिए एक अनिवार्य शर्त होगी। विभिन्न एए, एफआईपी में डेटा का निर्बाध और सुरक्षित प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए और एए परितंत्र प्रतिभागियों के लिए कुछ सामान्य तकनीकी मानकों के निर्धारण की आवश्यकता होगी ताकि डेटा की आवाजाही पूर्णरूप से अधिकृत और सुरक्षित हो।

सामान्य तकनीकी मानकों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि - i) एए सेट अप में प्रतिभागियों के बीच सूचना का प्रवाह सहज और सहमति-चालित हो; ii) एए ढांचे में अंतरपरिचालनीयता सुनिश्चित हो; iii) प्रतिभागियों के बीच प्रवाहित होने वाले डेटा की अक्षुण्णता को लागू किया जाता हो और iv) भावी विकास की गुंजाइश सीमित न हो।

इस दिशा में, रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिज़र्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट) ने हमारे साथ परामर्श से ओपन एपीआई-आधारित तकनीकी मानक तैयार किए हैं। इन तकनीकी मानकों की प्रमुख विशेषताओं

की संस्तुति यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि एए परितंत्र का डिजाइन डेटा-निरपेक्ष हो; इलेक्ट्रॉनिक सहमति पर आधारित हो; अस्वीकार्य ऑडिट ट्रेल्स सिफारिश करना और इंटरऑपरेबिलिटी और स्तरित नवाचार के लिए की जाती है।

डेटा शेयरिंग के लिए स्पष्ट और इलेक्ट्रॉनिक सहमति, ऑडिट ट्रेल्स, डेटा निरपेक्ष एए प्लेटफॉर्म आदि एए ढांचे की विनियामकीय विशेषताएं प्रगतिशील और पूर्वकृत (प्रिएम्प्टिव) प्रकार की हैं। एए के माध्यम से साझा की जा रही जानकारी पर ग्राहक का पूर्ण नियंत्रण होता है और सहमति तंत्र पर भी उसका अधिकार (स्वीकार करना/वापस लेना) होता है। इन उपायों से गोपनीयता को लेकर आशंकाओं और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताओं को व्यापक तौर पर दूर किया जाना सुनिश्चित होगा। एए फ्रेमवर्क एफआईयू को भी लाभान्वित करता है क्योंकि उन्हें इससे संभावित ग्राहकों की वित्तीय जानकारी तत्काल प्राप्त होती है जो वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था हेतु प्रतिवर्तन (टर्नअराउंड) समय को कम करके सुविधा और गति हासिल करता है जिसकी ग्राहक मांग करते हैं।

भारत में एए परितंत्र के लिए चुनौतियां और आगे का रास्ता:

एए का बड़ा लक्ष्य ग्राहकों को सशक्त बनाना और सूचना विषमता को कम करना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एए के माध्यम से और जिस उद्देश्य से जानकारी साझा की जा रही है उस पर ग्राहक का पूर्ण नियंत्रण हो। एए फ्रेमवर्क एफआईयू को भी लाभ प्रदान करता है क्योंकि उन्हें वास्तविक समय पर संभावित ग्राहकों की वित्तीय जानकारी प्राप्त होती है और इस प्रकार वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था हेतु प्रतिवर्तन समय कम हो जाता है। एए इस प्रकार ऋण देने वाले परितंत्र को मजबूत कर सकता है जो भारत को डेटा-समृद्ध देश बना सकता है और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है।

विनियामकीय इरादे को जहाँ सभी ओर से अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है, वहीं यदि विनियमन के वांछित उद्देश्य पूरे न हों, तो एक अच्छा विनियमन बेकार हो जाएगा। एए परितंत्र के मामले में वांछित उद्देश्य तब प्राप्त होंगे जब बड़ी संख्या में ग्राहक / एफआईयू एए प्लेटफॉर्म पर आएं और वे पूरी तरह से संरक्षित व सुरक्षित वातावरण में उपयोगकर्ताओं द्वारा वांछित रूप और सुरक्षित तरीके से एकत्रित डेटा प्राप्त करने में सक्षम हों। उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि इस नवोन्मेषी मंच की अपार संभावनाओं का एफआईपी और एफआईयू दोहन करें। यह प्रणाली तभी बेहतर ढंग से काम करेगी जब वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न विनियामकों से जुड़ी वित्तीय संस्थाओं के पास मेंटेन किए जा रहे विभिन्न ग्राहकों के खाते एए से जुड़ जाएं। इसके लिए, एफआईपी को फ्रेमवर्क का महत्त्व समझने की जरूरत है। यह मेरे विचार में भारत में एए परितंत्र के लिए एक व्यवहार्य कारोबारी मॉडल के विकास की कुंजी है। एक विनियामक के रूप में, हम पहले विनियामक ढांचे को लाकर और फिर रेबिट के माध्यम से एए के लिए 'तकनीकी मानकों' को निर्धारित करके प्रक्षेपण पटल (लॉन्च पैड) बना चुके हैं।

एए परितंत्र अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है, लेकिन इसके द्वारा संचालित डेटा की प्रकृति के कारण मंच की संवेदनशीलता को देखते हुए, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि विकास व्यवस्थित हो। जैसे-जैसे सिस्टम बढ़ेगा और परिपक्व होगा नए बिजनेस मॉडल और ग्राहकों से जुड़े पेशकश सामने आएंगे। नवोन्मेष के प्रति आरबीआई जहाँ खुला और उत्साहवर्धक है वहीं हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि नवोन्मेष और एए विनियामकीय संरचना की भावना के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

मैं इस बिंदु पर यह दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि रिजर्व बैंक के परिप्रेक्ष्य से हम वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेष का समर्थन अवश्य करते हैं, लेकिन यह समर्थन और प्रोत्साहन यह सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा कि हम एक मजबूत वित्तीय प्रणाली विकसित करें जो एक जीवंत और वर्धमान अर्थव्यवस्था में सहायक हो।

धन्यवाद।